



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1045]
No. 1045]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2004/अग्रहायण 17, 1926
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2004/AGRAHAYANA 17, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2004

आयकर

क्र० आ० 1340(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (बीसवाँ ..संशोधन) नियम, 2004 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- आयकर नियम, 1962 में,-
(क) नियम 114क के स्थान पर निम्नलिखित शिखर शब्द जोड़ने अर्थात् :-
“कर संग्रहण लेखा संख्यांक के आवंटन के लिए आवेदन ।

114 क. (1) कर कटौती और कर संग्रहण लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए धारा 203क की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्ररूप सं. 49ख में दो प्रतियों में किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई आवेदन,-

(i) उन दशाओं में, जहां धारा 203क के अधीन कर कटौती और कर संग्रहण लेखा संख्यांक के आबंटन का कार्य मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा किसी विशिष्ट निर्धारण अधिकारी को सौंपा गया है, उस निर्धारण अधिकारी को ;

(ii) किसी अन्य दशा में, आवेदक का निर्धारण करने की अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को ;

किया जाएगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन,-

(i) उस दशा में जहां किसी व्यक्ति ने, यथास्थिति, 1 अक्टूबर 2004 के पूर्व या 31 जनवरी 2005 को या उससे पूर्व शीर्ष 'ख - स्रोत पर कटौती' या 'खख-स्रोत पर संग्रहण' के अधीन अध्याय-17 के उपबंधों के अनुसरण में कर कटौती या कर संग्रहण ;

(ii) उस दशा में, जहां किसी व्यक्ति ने,-
1 अक्टूबर, 2004 को या उसके पश्चात्-

(क) शीर्ष 'ख-स्रोत पर कटौती' के अधीन अध्याय-17 के उपबंधों के अनुसरण में कर कटौती की है या करता है ; या

(ख) शीर्ष 'खख-स्रोत पर संग्रहण' के अधीन अध्याय-17 के उपबंधों के अनुसरण में कर संग्रहण किया है या करता है,
उस मास की समाप्ति से, जिसमें, यथास्थिति, कर कटौतियां या कर संग्रहण किया गया था, एक मास के भीतर या 31 जनवरी, 2005, इनमें से जो भी पश्चात्तवर्ती हो

किया जाएगा।" ;

“प्ररूप सं. 49ख

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 203क के अधीन कर कटौती लेखा संख्यांक और कर संग्रहण लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन का प्ररूप

निर्धारण अधिकारी (स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रहण);

निर्धारण अधिकारी कोड (स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रहण)	
क्षेत्र कोड	
नि.अ. प्रकार	
रेज कोड	
नि.अ. संख्यांक	

*मैं/हम आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17 के अनुसार 'ख-स्रोत पर कटौती' / *'खख-स्रोत पर संग्रहण' शीर्ष के अधीन कर* कटौती/संग्रहण या कर कटौती और कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी *हूँ/हैं;

और *मुझे/हमें और कोई कर-कटौती लेखा-संख्यांक/कर संग्रहण लेखा संख्यांक आबंटित नहीं किया गया है ;

और *मुझे / हमें कर-कटौती लेखा-संख्यांक/कर संग्रहण लेखा संख्यांक या कर कटौती लेखा संख्यांक और कर संग्रहण लेखा संख्यांक आबंटित नहीं किया गया है ।

[कृपया भरने से पहले अनुदेशों का निर्देश करें]

1. नाम (स्तंभ 'क' से 'ज' तक जो भी लागू हो, केवल एक स्तंभ भरें)

क. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार:

समूचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाए ।

केन्द्रीय सरकार

स्थानीय प्राधिकारी (केंद्रीय सरकार)

राज्य सरकार

स्थानीय प्राधिकारी (राज्य सरकार)

कार्यालय का नाम

[illegible]

संगठन का नाम

[illegible]

विभाग का नाम

[illegible]

मंत्रालय का नाम

[illegible]

* संदाय करने/कर संग्रहण करने लिए

उत्तरदायी व्यक्ति का पदाभिधान

ख. कानूनी/स्वायत्त निकाय:

समुचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाए

कानूनी निकाय

□

स्वायत्त निकाय

11

कार्यालय का नाम

[illegible]

संगठन का नाम

[illegible]

* संदाय करने/कर संग्रहण करने लिए

उत्तरदायी व्यक्ति का पदाभिधान

[illegible]

ग. कंपनी (टिप्पण 1 देखें) :

समूचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाए

केन्द्रीय सरकार कंपनी/किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी

11

राज्य सरकार कंपनी/किरी राज्य अधिनियम
द्वारा स्थापित कंपनी

□

અન્ય કંપની

7

अभिनाम (मैसर्स) (यदि लागू हो तो सही का निशान लगाए)

7

कंपनी का नाम

[illegible]

*संदाय करने/कर संग्रहण करने के लिए

उत्तरदायी व्यक्ति का पदाभिधान

[illegible]

घ. कंपनी की शाखा/प्रभाग:

समुचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाए ।

केन्द्रीय सरकार कंपनी/किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी

11

राज्य सरकार कंपनी/किसी राज्य अधिनियम
द्वारा स्थापित कंपनी

अन्य कंपनी



अभिनाम (मैसर्स) (यदि लागू हो तो सही का निशान लगाए)

11

कंपनी का नाम

[illegible]

प्रभाग का नाम

[illegible]

शाखा का नाम/अवस्थिति

[illegible]

*संदाय करने/कर संग्रहण करने, के लिए
उत्तरदायी व्यक्ति का पदाभिधान

[illegible]

५

व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (कर्ता) (टिप्पण 2 देखें)

समुचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाए

व्यष्टि ☐

हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब ☐

11

अभिनाम (व्यष्टि के लिए समुचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाएं)

श्री श्रीमती कुमारी

अंतिम नाम/कुल नाम

[illegible]

पहला नाम

मध्य नाम

[illegible]

च.

व्यष्टिक कारबार की शाखा (एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान)/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (कर्ता)

समुचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाए

व्यष्टि कारबार की शाखा ☐ हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की शाखा ☐



हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की शाखा ☐

व्यष्टि/हिन्दु अभिव्यक्त कुटुम्ब (कर्ता)

अभिनाम (व्यष्टि के लिए समुचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाएं)

श्री श्रीमती कुमारी

अंतिम नाम/कुल नाम
 पहला नाम
 मध्य नाम
 शाखा का नाम/अवस्थिति

छ. फर्म/व्यक्तियों का संगम/

व्यक्तियों का संगम (न्यास)/ व्यष्टियों का निकाय/कृत्रिम विधिक व्यक्ति (टिप्पण 3 देखें)

नाम

ज. फर्म/व्यक्तियों का संगम/व्यक्तियों का संगम(न्यास)/व्यष्टियों का निकाय/कृत्रिम विधिक व्यक्ति की शाखा

फर्म/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का संगम (न्यास)/व्यष्टियों का निकाय/कृत्रिम विधिक व्यक्ति का

नाम

शाखा का नाम/अवस्थिति

2. पता :

फ्लैट/मकान/ब्लॉक सं.
 परिसर/भवन/गांव का नाम
 मार्ग/गली/लेन/डाकघर
 क्षेत्र/परिक्षेत्र/उप खंड
 नगर/शहर/जिला
 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

पिन कोड
 (पिन कोड निर्देशन आज्ञापक है)

टेलीफोन नं०

एस.टी.कोड

ई-मेल आई डी

टेलीफोन नं०

क
 ख

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं० का०आ० 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (उन्नीसवाँ संशोधन) नियम, 2004 द्वारा अधिसूचना सं० का०आ० 1334(अ) तारीख 07-12-2004 द्वारा किया गया।